

पटना में दिनांक-01 अक्टूबर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 1. | बिहार निबंधन सेवा के अवर निबंधक वेतनमान PB3 (₹ 15,600-39,100) + ग्रेड पे-₹ 5400 से जिला अवर निबंधक वेतनमान PB3 (₹ 15,600-39,100) + ग्रेड पे-₹ 6600 तथा जिला अवर निबंधक से सहायक निबंधन महानिरीक्षक वेतनमान PB3 (₹ 15,600-39,100) + ग्रेड पे-₹ 7600 के पद पर नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति। | 1. | स्वीकृत। |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2. | बोतलबन्दी देशी शराब का निर्माण एवं वितरण करने के संबंध में नीति निर्धारण। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|

वित्त विभाग

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3. | कर्तव्य अवधि में सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान दिये जाने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

वाणिज्य-कर विभाग

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 4. | बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारियों को वेतनमान् रू० 15,600-39,100+ग्रेड-पे 5,400/- (पुराना वेतनमान् रू० 8000-13,500) से उच्चतर वेतनमान् रू० 15,600-39,100+ग्रेड-पे 6,600/- (पुराना वेतनमान् रू० 10,000-15,200) में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति योजना (ए०सी०पी०) का लाभ प्रदान करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 5. | बिहार प्रशासनिक सेवा के भूतपूर्व पदाधिकारी स्व० मु० जमाल अहमद को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक-30.12.1981 के आलोक में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर (कनीय प्रवर कोटि) के वेतनमान ₹ 1350-50-1700-75 -2000 में प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति तथा वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान ₹1575-50-1775- 75- 2300 (पुनरीक्षित ₹ 3700-5000/-) में द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति देने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

गृह (आरक्षी) विभाग

7. जिला सशस्त्र पुलिस-कमानतंत्र एवं प्रबंधन के सुदृढीकरण हेतु परिचारी प्रवर का 55, परिचारी का 179, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (सूबेदार) का 170 एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक (सिविल जमादार) का 680 पद सहित कुल 1084 (एक हजार चौरासी) पदों के सृजन के संबंध में।
7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत अंचल-मोतिहारी सदर, के मौजा-बेलबनवा, थाना सं०-167, खाता सं०-203, खेसरा सं०-252 का रकवा-3.05 एकड़ कैसरे हिन्द परती कदीम भूमि वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
8. स्वीकृत।

वित्त विभाग

9. बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के स्वयंसेवी गृह रक्षकों एवं वैतनिक कर्मियों को वर्दी/पोशाक राशि के नगद भुगतान की दरों में संशोधन के संबंध में।
9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. चालू वित्तीय वर्ष 2013-2014 में राज्य महादलित आयोग बिहार, पटना को गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल ₹ 1,97,09,000/- (एक करोड़ सनतानवे लाख नौ हजार) रुपये मात्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
10. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, मुंसिफ (निलंबित), कैमूर (भभुआ) को सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के संबंध में।
11. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

12. खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के गठन के संबंध में।
12. स्वीकृत।

गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय)

13. बिहार कारा हस्तक-2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य की काराओं में ₹4,87,32,905 की अनुमानित लागत पर e-Prison योजना को मनोनयन (Nomination) के आधार पर National Informatics Centre (NIC) नई दिल्ली से कार्यान्वयन कराये जाने की स्वीकृति।
13. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी)

14. अपराध/विधि व्यवस्था एवं कांडों के अनुसंधान पर नियंत्रण हेतु राज्य के मुजफ्फरपुर एवं बांका जिला में एक-एक नये पुलिस अनुमंडल का सृजन तथा इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 24 (चौबीस) पदों का सृजन के संबंध में।
14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजनान्तर्गत रूपये 1,04,45,60,700/- (एक अरब चार करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार सात सौ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।
15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. राज्य के कुल 391 बुनियादी विद्यालयों के सुदृढीकरण, पुनर्जीविकरण एवं विकसित करने हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति।
16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमाननावाद संख्या-1788/11 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रयोगशाला से जुड़े शिक्षकेत्तर कर्मियों को जो नियुक्ति के समय संबंधित विषयों में स्नातक की योग्यता धारित करते हैं तथा जो विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर प्रयोगशाला संचालन से संबंधित कार्यों का सम्पादन निरंतर रूप से कर रहे हैं, को औपबंधिक रूप से, अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 5500-9000/-के आधार पर सन्तम् पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक-01.01.06 के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा दिनांक-01.04.07 से वास्तविक रूप से वेतन बैंड ₹ 9300-34800/-में ग्रेड पे-₹ 4200/-अनुमान्य किये जाने के संबंध में।
17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०-XIX) के तहत पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखण्ड में बूढ़ी गंडक (सिकरहना) नदी के कटहा घाट पर भू-अधिग्रहण, पहुँच पथ निर्माण कार्य सहित 12x24.75मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल 3539.55 लाख (पैंतीस करोड़ उन्चालीस लाख पचपन हजार) रुपये की अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

18. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

19. बाढ़ 2013 के मद्देनजर नगद अनुदान वितरण हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 90,00,00,000 (नब्बे करोड़ रुपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।